

परियोजना का नाम- जनपद बदायूँ में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-३३) के किमी १०२.११५ से १३१.०० तक दो लेन विद पेड सोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।

वन स्वरूप भूमि प्रभावित न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद बदायूँ में बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-३३) किमी० १०२.११५ से ११४.२०० तक वर्तमान मार्ग के दोनों ओर ४ लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के मध्य में बनाये जाने वाले डिवाइडर पर एवं बदायूँ रेंज में उलाईखेडा खाम वन खण्ड पर काटे गये वृक्षों की दोगुनी संख्या में वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित स्थल पर चिन्हित वन स्वरूप भूमि प्रभावित नहीं होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद बदायूँ में बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-३३) किमी० १०२.११५ से ११४.२०० तक वर्तमान मार्ग के दोनों ओर ४ लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के मध्य में बनाये जाने वाले डिवाइडर पर एवं बदायूँ रेंज में उलाईखेडा खाम वन खण्ड पर काटे गये वृक्षों की दोगुनी संख्या में वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित स्थल पर चिन्हित वन स्वरूप भूमि प्रभावित नहीं होगी।

अधिसूचना संख्या- ११७
प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद बदायूँ में बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-३३) किमी० १०२.११५ से ११४.२०० तक वर्तमान मार्ग के दोनों ओर ४ लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के मध्य में बनाये जाने वाले डिवाइडर पर एवं बदायूँ रेंज में उलाईखेडा खाम वन खण्ड पर काटे गये वृक्षों की दोगुनी संख्या में वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित स्थल पर चिन्हित वन स्वरूप भूमि प्रभावित नहीं होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद बदायूँ में बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-३३) किमी० १०२.११५ से ११४.२०० तक वर्तमान मार्ग के दोनों ओर ४ लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के मध्य में बनाये जाने वाले डिवाइडर पर एवं बदायूँ रेंज में उलाईखेडा खाम वन खण्ड पर काटे गये वृक्षों की दोगुनी संख्या में वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित स्थल पर चिन्हित वन स्वरूप भूमि प्रभावित नहीं होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद बदायूँ में बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-३३) किमी० १०२.११५ से ११४.२०० तक वर्तमान मार्ग के दोनों ओर ४ लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के मध्य में बनाये जाने वाले डिवाइडर पर एवं बदायूँ रेंज में उलाईखेडा खाम वन खण्ड पर काटे गये वृक्षों की दोगुनी संख्या में वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित स्थल पर चिन्हित वन स्वरूप भूमि प्रभावित नहीं होगी।

इं० मनिन्दर सिंह
(सहायक अभियन्ता)
मा० ख० जो० नि० वि०
बदायूँ